

पत्रांक-5/सं.1-18/2016 887 ✓

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योगेश्वर भवन, मेण्डल BAZA परिसर, बोरोख, राँची-834002

D.R-I

M  
1.4.17

प्रेषक,

मीना ठकुर, (भा0प्र0से0)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,  
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

राँची, दिनांक- 29/03/17

विषय:-

उर्सुलाईन विमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लोहरदगा को बी0एड0 पाठ्यक्रम में  
शैक्षणिक सत्र 2017-19, 2018-20 एवं 2019-21 के लिए अस्थायी  
संबंधन दीर्घीकरण के संबंध में।

प्रसंग:-  
महाशय,

आपका पत्रांक-GEI-3675-98 दिनांक-18.03.2017

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बी0एड0 महाविद्यालयों को संबंधन  
प्रदान करने हेतु "The Statute relating to admission and exclusion of B.Ed. Colleges other  
than those managed and maintained by the University." विभागीय पत्रांक-2763 दिनांक-  
16.12.2016 के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया है। Statute की कंडिका-6 में Extension  
of temporary affiliation के संबंध में निम्न प्रतिवेदनों को संलग्न करने का प्रावधान किया गया  
है:-

- Compliance report of the conditions mentioned, if any, in the Recognition letter issued by NCTE/ Inspection report of the University.
- Report on the compliance of the State policy relating to eligibility criteria for the admission of students.
- Report on the manner in which the prescribed course has been completed.
- Report on conduct of examination.
- Certificate of AISHE registration & uploading of up to date information on AISHE portal.

प्रासंगिक बी0एड0 महाविद्यालय के संबंध में उक्त विन्दुओं पर विन्दुवार अपेक्षित  
प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया गया है, जिसके कारण अग्रोत्तर कार्रवाई में कठिनाई हो रही है।

अनुरोध है कि NCTE के पत्रांक-32739 दिनांक-31.05.2015 द्वारा इस  
महाविद्यालय को प्रदत्त Recognition में अंकित शर्तों के अनुपालन के विन्दुओं पर विन्दुवार  
सुस्पष्ट प्रतिवेदन सहित अन्य अपेक्षित प्रतिवेदन कृपया एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की  
कृपा की जाय।

विश्वारागाजन,

29.3.17

(मीना ठकुर)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-878  
11/4/17

34  
16  
50

01/04/17